IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

जुलाई १५, २०२०

The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051	The Manager (Listing) Bombay Stock Exchange Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

Dear Sir,

Annual Report for FY 2019-20

In terms of Regulation 34 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report of IDBI Bank for the FY 2019-20 alongwith the Notice of the 16th AGM of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

भवदीय,
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

15/07/2020

[पवन अग्रवाल]
कंपनी सचिव

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

[पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005.

फोन-(022) 66552711 / 3147

ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in]

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के सदस्यों की 16वीं वार्षिक महासभा **सोमवार, दिनांक 17 अगस्त 2020** को अपराह्न 3.30 बजे पूरी तरह से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगीः

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा यथा 31 मार्च 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. श्री राजेश कंडवाल (डीआईएनः 02509203), एलआईसी के नामिती निदेशक की आवर्तन आधार पर पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है

3. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे निम्नानुसार एक **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

   "**संकल्प किया जाता है कि** जारी किए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139-142 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था बहिर्नियम व अंतर्नियम तथा तत्समय लागू किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के निदेशक मंडल को -

   i. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक(कों) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और

   ii. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के निबंधनों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

Phone-(022) 66552711 / 3147

e-mail:idbiequity@idbi.co.in, website:www.idbibank.in]

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 16th Annual General Meeting of the Members of **IDBI Bank Limited** will be held on **Monday, August 17, 2020** at 3.30 p.m. exclusively through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2020 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the audited consolidated financial statements of the Bank and the report of the auditors thereon for the year ended March 31, 2020;

2. To re-appoint Shri Rajesh Kandwal (DIN: 02509203), LIC Nominee Director as rotational Director, who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment

3. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:-**

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 139-142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to –

   i. appoint / re-appoint Statutory Central Auditors of the Bank for the Financial Year 2020-21 as per the approval to be received in this regard from Reserve Bank of India (RBI) and

   ii. appoint/re-appoint Branch Statutory Auditor for Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2020-21 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received in this regard from RBI.

उपर्युक्त नियुक्तियाँ/पुनर्नियुक्तियाँ ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर होंगी जो बैंक का निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों पर उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे.''

विशेष कारोबार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और/या कोई अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देशों के अनुसरण में और बैंक के बहिर्नियम एवं संस्था अंतर्नियम के अनुसार, तथा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हों, के अधीन बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) को भारत में या विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल ₹ 11000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) तक के इक्विटी शेयर, जोकि बाजार मूल्य पर छूट(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक वर्तमान शेयरधारकों/सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) [अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार, स्थानन दस्तावेज के माध्यम से तथा ऐसे मूल्य और निबंधनों एवं शर्तों पर जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए], या ऐसी अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों, या निवेशकों की अन्य श्रेणी जिन्हें वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदान के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सहित पर यहीं तक सीमित नहीं, को बोर्ड द्वारा उचित समझे गए तरीके से ऑफर, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन, ईएसपीएस, इसोप और/ या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन लागू और सम्बद्ध कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड के पास यह प्राधिकार होगा कि वह लागू और संबद्ध विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों और उनके क्यूआईपी के निर्गम मूल्य और निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए सम्बद्ध तारीख तय करे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** किसी क्यूआईपी के संबंध में इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होने के अधीन एवं समरूप होंगे तथा बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे.''

On such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments upon recommendation of the Audit Committee."

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2018, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and subject to the approvals, if any, of the Relevant Authorities, as may be required in this regard, consent of shareholders of the Bank, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank ('the Board') to offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹10/- each and aggregating upto ₹ 11000 crore (inclusive of premium amount, if any), whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, from time to time in one or more tranches, including but not limited to one or more of the existing shareholders/members, employees of the Bank, Qualified Institutional Buyers (QIBs) [pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), through a placement document and at such price and such terms and conditions as may be determined in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations] or such other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to subscribe to the equity shares of the Bank as per the extant regulations/ guidelines, as deemed appropriate by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, qualified institutional placement, ESPS, ESOP and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the applicable and relevant laws/guidelines, as the Board may deem fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide the issue price and the relevant date for determination of the Issue price including for QIP of the equity shares as per the applicable and relevant regulations/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution in respect of a QIP."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares shall be issued in demat form and shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, by the Bank."

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और अपेक्षित एजेंसियों से ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने, यदि कोई हों, के लिए, जिसे आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझे तथा इक्विटी शेयरों के ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, आदि करने, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे जाएं, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो संबद्ध कानूनों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत हो.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड को इसके अंतर्गत प्रदत्त अपने सभी या कोई भी अधिकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक और/या किसी समिति, जो इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए गठित की जाए/ की गई है, को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 14 के प्रावधानों और संबंधित अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और अन्य लागू होने वाले कानून(नों), यदि कोई हों, के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक सहित सांविधिक/ विनियामकीय प्राधिकरणों, जो इस संबंध में अपेक्षित हों, से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हों, की शर्तों पर तथा उसमें ऐसे निबंधनों, शर्तों और संशोधनों, जो उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाए, की शर्तों पर तथा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, आईडीबीआई बैंक के संस्था के अंतर्नियम में निम्नानुसार परिवर्तनों के लिए शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए तथा एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है'':

संशोधित अंतर्नियम :

अंतर्नियम 114 (बी)

निदेशक मंडल के सदस्यों में से कम से कम 51% (इक्यावन प्रतिशत) ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 10ए में वर्णित किसी भी विषय का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो तथा वे इन अंतर्नियमों, अधिनियम तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम में वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से प्रभावित न हों.

अंतर्नियम 116 :

i. एलआईसी के अध्यक्ष आईडीबीआई बैंक लि. के पदेन गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे;

ii. बोर्ड द्वारा द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ;

iii. बोर्ड द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक उप प्रबंध निदेशक;

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including execution of such deeds, documents and agreements with the required agencies, if any, as deemed necessary, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the offer, issue, allotment of equity shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, variations, etc. as regards the terms and conditions, as deemed fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members."

"RESOLVED FURTHER THAT such of those equity shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible under relevant laws/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Directors or any other Senior Executive of the Bank and/or to any Committee which may be/have been constituted to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other applicable provisions, if any, of the Relevant Acts, Rules and Regulations, and other applicable law(s), if any, and subject to approval of statutory/regulatory bodies including RBI, if any, as may be required in this regard and subject to/ in accordance with such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded for alteration of Articles of Association of IDBI Bank as per the direction given by RBI, as follows:

Amended Articles:

Article 114 (b)

Not less than 51% (fifty one percent) of the total number of members of the Board of Directors shall consist of persons, who shall have special knowledge or practical experience in any of the matters mentioned in section 10A of the Banking Regulation Act and who do not suffer from any of the disqualification mentioned in these Articles, the Act and the Banking Regulation Act.

Article 116

i. Chairman of LIC will be an ex-officio Non Executive Non Whole time Chairman of IDBI Bank Ltd.;

ii. One whole time Managing Director & CEO appointed by Board;

iii. Two whole time Deputy Managing Directors appointed by Board;

iv. एलआईसी के एक आधिकारिक नामिती निदेशक;

v. भारत सरकार के दो नामिती निदेशक;

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149 (4) की शर्तों के अनुसार, शेयरधारकों की महासभा में लगातार 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए किन्तु विशेष संकल्प के द्वारा अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति की पात्रता के साथ बोर्ड में अधिकतम 8 वर्ष की अवधि के अधीन नियुक्त 8 गैर आवर्तनीय स्वतंत्र निदेशक;

vii. उपर्युक्त क्रम सं. (iii) से (v) तक के पाँच निदेशक 15 निदेशकों (8 स्वतंत्र निदेशकों को घटाकर) की कुल संख्या के लगभग 2/3 होंगे तथा ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के प्रावधानों के अनुसार महासभा में आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के अधीन होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे;

viii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) (बी) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए.

अंतर्नियम 117

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किए अनुसार अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित कर सकेंगे तथा इस प्रकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जोकि कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होंगे.

अंतर्नियम 118

इन अंतर्नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, बोर्ड को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशकों, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यकाल को उनकी अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय कम से कम तीन महीने के लिखित नोटिस अथवा ऐसे नोटिस के स्थान पर तीन महीने के वेतन और भत्ते प्रदान कर समाप्त करने का अधिकार होगा, तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, को भी विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय बोर्ड को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देने के बाद अपने पद को छोड़ देने का अधिकार होगा, जोकि कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होगा.

अंतर्नियम 119

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित तथा बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा संस्तुत वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे, जोकि अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होंगे. .

Article 127

बोर्ड या समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिए निदेशक को देय बैठक शुल्क का निर्धारण समय-समय पर ऐसे शुल्क की अधिकतम सीमा के अंतर्गत बोर्ड द्वारा किया जाएगा जोकि कंपनी अधिनियम,

iv. One Official Nominee Director of LIC;

v. Two Nominee Directors of GoI;

vi. 8 Non Rotational Independent Directors appointed by shareholders in General Meeting in terms of Sec 149(4) read with Schedule IV of Companies Act, 2013 for an initial term of 4 consecutive years but shall be eligible for re-appointment on passing of special resolution for not more than one more term of 4 years, subject to maximum term of 8 years on the Board;

vii. Five Directors at SL. No (iii) to (v) above being nearest to 2/3rd of the total strength of 15 Directors (minus 8 independent directors) shall be subject to retirement by rotation at the AGM in terms of the provisions of Section 152(6) of the Companies Act, 2013 and shall be eligible for re-appointment;

viii. As per the provisions of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 2013, at least one Independent Woman Director should be there on the Board of Directors.

Article 117

The Managing Director & CEO and the whole-time directors shall hold office for such term not exceeding five years as the Board may specify in this behalf and any person so appointed shall be eligible for re-appointment, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force.

Article 118

Notwithstanding anything contained in these Articles, Board shall have the right to terminate the term of office of the Managing Director & CEO and the whole time directors, as the case may be, at any time before the expiry of the term by giving him notice of not less than three months in writing or three months' salary and allowances in lieu of such notice; and the Managing Director & CEO or the whole-time directors, as the case may be, shall also have the right to relinquish his office at any time before the expiry of the term specified by giving to the Board notice of not less than three months in writing, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force.

Article 119

The Managing Director & CEO and the whole-time directors shall receive such salary and allowances as may be determined by the Board and recommended by the Nomination & Remuneration Committee of the Board in accordance with the Act and the Banking Act, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force.

Article 127

The sitting fees payable to a Director for attending a meeting of the Board or Committee thereof shall be decided by the Board from time to time within the

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाए.

अंतर्नियम 141(ए)

कंपनी सामान्य संकल्प द्वारा किसी निदेशक (नामिती निदेशक को नहीं) को उनके कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले हटा सकती है.

अंतर्नियम 143

कंपनी के अध्यक्ष, उपस्थित होने पर बोर्ड व इसकी उन समितियों की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, जिनके वे सदस्य हों. यदि किसी बैठक के लिए निर्धारित समय के बाद पंद्रह मिनट के भीतर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक का बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चयन कर लेंगे.

अंतर्नियम 145

कंपनी सचिव अथवा निदेशकों द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, निदेशक के अनुरोध पर तथा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के परामर्श से निदेशकों की बैठक आयोजित करेंगे.

अंतर्नियम 154(1)

बैंकिंग अधिनियम की धारा 35बी के प्रावधानों और अन्य आवश्यक अनुमोदनों के अधीन, बोर्ड निदेशकों में से किसी एक को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में नियुक्त करेगा तथा उनको कंपनी के सभी मामलों के प्रबंधन का कार्य सौंपा जाएगा. वे आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे..

इसके लिए शर्त यह होगी कि प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन में करेंगे.

अंतर्नियम 154(2)

बैंकिंग अधिनियम की धारा 35बी के प्रावधानों और अन्य आवश्यक अनुमोदनों के अधीन, बोर्ड दो उप प्रबंध निदेशक नियुक्त करेगा जो कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन और इन अंतर्नियमों के प्रावधानों के अधीन ऐसे अधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे जो उनको बोर्ड या प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं.

अंतर्नियम 154(4)

अध्यक्ष सभी सामान्य बैठकों की अध्यक्षता करेंगे. यदि बैठक के लिए निर्धारित समय के बाद 15 मिनट के भीतर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित निदेशक ऐसी बैठक के लिए अपने सदस्यों में से किसी एक का चुनाव अध्यक्ष के रूप में करेंगे.

अंतर्नियम 155

पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की यदि मृत्यु हो जाती है या वे त्यागपत्र दे देते हैं या अस्वस्थता या अन्य कारणों से अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ हो जाते हैं या छुट्टी या अन्य कारणों से अनुपस्थित रहते हैं, और परिस्थितिवश उनका पद रिक्त नहीं रखा जा सकता है तो बोर्ड विनियामकीय एजेंसियों के अनुमोदन से, आवश्यक होने पर, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के दायित्व निर्वहन के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा जो अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए होगी.

maximum limits of such fees that may be prescribed by the Companies Act, the Banking Regulation Act, 1949 and regulatory guidelines issued by RBI.

Article 141(a)

The Company may by Ordinary Resolution remove a Director, (not being a nominee director) before the expiry of his period of office.

Article 143

Chairman of the Company, if he is present, shall preside over all the meetings of the Board and the Committee, if he is a member thereof. If at any meeting, the Chairman is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present shall elect one of their numbers to be the Chairman of such meeting.

Article 145

The Company Secretary or such other Officer of the Company as may be authorised by the Directors shall upon the request of a Director and in consultation with Chairman or in his absence Managing Director and CEO or in his absence Whole Time Director of the Bank convene a meeting of the Directors.

Article 154(1)

Subject to the provisions of Section 35B of the Banking Act and other necessary approval(s), Board shall appoint one of the Directors to be the Managing Director & CEO and he shall be entrusted with the management of the whole of the affairs of the Company, who shall not be liable to retire by rotation.

Provided that the Managing Director & CEO shall exercise his powers subject to the superintendence, control and direction of the Board of Directors.

Article 154(2)

Subject to the provisions of Section 35B of the Banking Act and other necessary approval(s), Board shall appoint two Deputy Managing Directors who shall, subject to the supervision, direction and control of the Managing Director and CEO of the Company and subject to the provisions of these Articles, exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the Managing Director and CEO.

Article 154(4)

The Chairman shall preside over all the General Meetings. In case, chairman is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present shall elect one of their numbers to be the Chairman of such meeting.

Article 155

Where a person appointed as Managing Director & CEO on whole-time basis, dies or resigns or is by infirmity or otherwise rendered incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise, in circumstances not involving the vacation of his office, Board shall, with the approval of the Regulatory Agencies, if required, make suitable arrangements for carrying out the duties of Managing Director & CEO for a total period not exceeding four months.

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीजें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संस्था के अंतर्नियम 116(1)(v) और (vii) के अनुपालन में, बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन 07459492), जो निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी, की नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1),196, 203 के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(iii) और (vii) तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी और 35बी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 04 सितंबर 2019 के पत्र द्वारा और दिनांक 19 सितंबर 2019 को बोर्ड की बैठक में अनुमोदित पारिश्रमिक पर, जैसाकि कारोबार के इस मद के व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित है, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन 02262530) की 20 सितंबर 2019 से 3 वर्षों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, तथा इसके उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1),196, 203 के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(iii) और (vii) तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी और 35बी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 09 जनवरी 2020 के पत्र द्वारा और दिनांक 15 जनवरी 2020 को बोर्ड की बैठक में अनुमोदित पारिश्रमिक पर, जैसाकि कारोबार के इस मद के व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित है, श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार (डीआईएन 03022106) की 15 जनवरी 2020 से 3 वर्षों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, तथा इसके उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संस्था के अंतर्नियम 116(1)(v) और (vii) के अनुपालन में, बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएन 07555065), जो निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी, की नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT the appointment of Ms Meera Swarup (DIN 07459492) as a Director liable to retire by rotation during her tenure as Government Nominee Director on the Board, in compliance of Article 116(1)(v) &(vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby approved."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN 02262530), as a Director liable to retire by rotation and Deputy Managing Director on the Board of IDBI Bank Limited for 3 years w.e.f. September 20, 2019 at the remuneration approved by RBI vide letter dated September 04, 2019 and by Board at the meeting dated September 19, 2019 as elaborated in the explanatory statement to this item of business, in terms of Article 116(1)(iii) & (vii) read with Sections 160(1), 196, 203 of the Companies Act, 2013 and Sections 10B and 35B of the Banking Regulation Act, 1949, be and is hereby approved."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN 03022106), as a Director liable to retire by rotation and Deputy Managing Director on the Board of IDBI Bank Limited, for 3 years w.e.f. January 15, 2020 at the remuneration approved by RBI vide letter dated January 09, 2020 and by Board at the meeting dated January 15, 2020 as elaborated in the explanatory statement to this item of business, in terms of Article 116(1) (iii) & (vii) read with Sections 160(1), 196, 203 of the Companies Act, 2013 and Sections 10B and 35B of the Banking Regulation Act, 1949, be and is hereby approved."

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Anshuman Sharma (DIN 07555065) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board, in compliance of Article 116(1)(v) &(vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby approved."

10. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949, सेबी विनियम के अधीन लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर होने वाले अनुमोदन के अधीन/के अनुसार, यहाँ नीचे प्रस्तावित अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों की क्षतिपूर्ति संरचना में संशोधन के अनुमोदन के लिए आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल को अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है.''

प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएँ :

(i) कैरियर पोस्ट बैंक में संयुक्त सेवा को ध्यान में रखते हुए पात्र पूर्णकालिक निदेशकों को पेंशन संबंधी लाभः

पेंशन की गणनाः

पूर्णकालिक निदेशक के रूप में दी गई सेवा अवधि के लिए पेंशन की गणना, कैरियर पोस्ट बैंक और साथ ही बैंक, जहाँ पूर्णकालिक निदेशक के रूप में तैनात थे, में संयुक्त सेवा को ध्यान में रख कर कल्पित आधार पर बैंक के पेंशन विनियमों के अधीन की जाएगी. इस प्रकार गणना की गई पेंशन और कैरियर पोस्ट बैंक द्वारा भुगतान किए जा रहे पेंशन के अंतर (कैरियर पोस्ट बैंक में सेवा समापन की तारीख को सेवानिवृत्ति की तारीख मानते हुए) का भुगतान उस बैंक द्वारा किया जाएगा जहाँ अधिकारी पूर्णकालिक निदेशक थे.

पेंशन का संराशीकरण :

संराशीकरण के बीच का अंतर मध्यस्थ बैंक या पूर्णकालिक निदेशक जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, उस बैंक द्वारा देय होगा. संराशीकरण कैरियर पोस्ट बैंक द्वारा देय होगा.

पेंशन विनियमः

जिस बैंक में पूर्णकालिक निदेशक कार्यरत हैं उस बैंक का पेंशन विनियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ पूर्णकालिक निदेशक को पेंशन प्रदान किए जाने लिए के लिए लागू होगा.

उपदान और छुट्टी नकदीकरण :

उपदान और छुट्टी नकदीकरण के भुगतान कैरियर पोस्ट बैंक द्वारा नहीं किए जाएंगे. कैरियर पोस्ट बैंक, अधिकारी को देय उपदान और छुट्टी नकदीकरण की राशि को उस बैंक को अंतरित करेगा जहाँ अधिकारी पूर्णकालिक निदेशक के रूप प्रभार ग्रहण करते हैं. वह बैंक जहाँ से पूर्णकालिक निदेशक सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्ति के समय कैरियर पोस्ट बैंक में संयुक्त सेवा को ध्यान में रखते हुए उपदान और छुट्टी नकदीकरण का भुगतान करेगा.

(ii) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों के लिए क्षतिपूर्ति में संशोधनः

संशोधित क्षतिपूर्ति संरचना में वर्तमान वेतन, भत्ते और अधिवर्षिता लाभ निर्धारित वेतन के साथ जोड़ दिए जाएंगे. आवास, ड्राईवर का वेतन और सेवानिवृति लाभ (भविष्य निधि, उपदान और पेंशन (यदि लागू हो) के मौद्रिक मूल्य मूल्यांकित किए जाएंगे तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक के लिए निर्धारित वेतन के साथ जोड़ दिए जाएंगे. क्षतिपूर्ति में प्रस्तावित वृद्धि परिवर्तनशील वेतन के रूप में होगी (नकदी आधारित तथा ईएसओपी के रूप में दीर्घावधि प्रोत्साहन). लक्षित परिवर्तनशील वेतन संमिश्र, वार्षिक नकदी प्रोत्साहन में एक तिहाई और शेयर आधारित दीर्घावधि प्रोत्साहन

10. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"RESOLVED THAT subject to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI Regulations and RBI Guidelines and subject to/in accordance with the approval to be granted by RBI, approval be and is hereby accorded to the Board of Directors of IDBI Bank to approve revision(s) in the compensation structure of MD & CEO and DMDs of the Bank as proposed herein below :

Salient features of the proposed revisions :

(i) Pensionary Benefits to eligible WTDs considering Combined Service in Career Post Bank:

Computation of Pension:

For the period of service rendered as WTD the pension would be notionally calculated for the combined service in the career post Bank as well as the Bank where the officer was posted as WTD as applicable under the Bank's pension regulations. The difference between the pension thus calculated and the pension being paid by the career post Bank (considering the date of cessation in career post Bank as deemed retirement) shall be payable by the Bank where the officer served as WTD.

Commutation of Pension:

Difference between commutation shall be payable by the Intermediary Bank or the Bank from which WTD retired and the commutation paid by the career post Bank.

Pension Regulations:

The pension regulations of the Bank in which the WTD serves shall, mutatis mutandis, apply to the grant of pension to the WTD.

Gratuity and Leave Encashment:

Gratuity and leave encashment shall not be payable by career post Bank. The career post Bank shall transfer gratuity and leave encashment amount payable to officer to the Bank where officer assumes charge as WTD. The Bank at which, the WTD retires shall pay gratuity and leave encashment considering the combined service in career post Bank at the time of retirement.

(ii) Revision in compensation for MD & CEO and DMDs:

Existing pay, allowances and superannuation benefits to be clubbed under Fixed Pay in the revised compensation structure. Monetary value of accommodation, driver's salary and retirement benefits (Provident Fund, Gratuity and pension (if applicable) to be valued and added to the fixed pay of MD & CEO and DMDs as per RBI guidelines. The proposed increase in compensation would be in the form of variable pay (cash based as well as Long term incentives in the form of ESOPs). Target Variable Pay mix to be at 1/3rd in Annual Cash Incentives and 2/3rd in Share-based Long Term

(एलटीआई) में दो तिहाई होगा. इस प्रकार लक्षित कुल क्षतिपूर्ति निम्नानुसार है:

पदनाम	नियत वेतन	परिवर्तनशील वेतन (वार्षिक नकदी आधारित)	परिवर्तनशील वेतन (शेयर आधारित एलटीआई)
एमडी एवं सीईओ	40%	20%	40%
उप प्रबंध निदेशक	46%	18%	36%

मंजूरी की तारीख से परिवर्तनशील वेतन संबंधी आस्थगन/निधान निम्नानुसार प्रस्तावित है:

पदनाम	परिवर्तनशील वेतन (वार्षिक नकदी आधारित)			परिवर्तनशील वेतन (शेयर आधारित एलटीआई)		
	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक	50%	25%	25%	25%	25%	50%

विवेकपूर्ण जोखिम लेने संबंधी प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित क्षतिपूर्ति संरचना में मालस एवं क्लाबैक संबंधी प्रावधान का निर्माण किया गया है.

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई- 400005

दिनांक : 29 जून 2020

टिप्पणियां :

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.
2. कोविद-19 महामारी के व्यापक प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन करना है और एमसीए के दिनांक 08/04/2020, 13/04/2020 और 05/05/2020 के अनुसरण में वार्षिक महासभा (एजीएम) का आयोजन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) द्वारा या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से किया जाएगा. अतः, सदस्य इस वार्षिक महासभा में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं.
3. एमसीए द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुसार, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त कर उनके लिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. अतः नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न नहीं किया गया है. तथापि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए पात्र हैं और इस प्रकार वे वार्षिक महासभा में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान कर सकते हैं.

Incentive (LTI). The target total compensation thus works out to be as under:

Position Title	Fixed Pay	Variable Pay (Annual Cash Based)	Variable Pay (Share-based LTI)
MD & CEO	40%	20%	40%
DMDs	46%	18%	36%

The Deferral/ Vesting of Variable Pay from Grant Date is proposed as under:

Position Title	Variable Pay (Annual Cash Based)			Variable Pay (Share-based LTI)		
	Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3
MD & CEO and DMDs	50%	25%	25%	25%	25%	50%

Provision regarding Malus and Clawback has been built in the proposed compensation structure with a view to encourage prudent risk taking.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 29, 2020

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith.
2. In view of massive outbreak of COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to MCA Circular dated 08/04/2020, 13/04/2020 and 05/05/2020 Annual General Meeting (AGM) may be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.
3. Pursuant to Circular dated April 08, 2020, issued by MCA the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for Members attending the AGM through VC/OAVM. Accordingly, the proxy form is not annexed to this notice However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate threat and cast their votes through e-voting.

4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं. लागू परिपत्र के अनुसार, वीसी / ओएवीएम के पास महासभा में भाग लेने के लिए कम से कम 1000 सदस्यों को अनुमति देने की क्षमता होगी तथा यह सहभागिता 'पहले आएं, पहले पाएं' आधार पर होगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं जिन्हें 'पहले आएं, पहले पाएं' आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है.

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.

6. बैंक, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्रों के अनुसरण में महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

7. कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुपालन में वार्षिक महासभा बुलाए जाने की नोटिस बैंक की वेबसाईट www.idbibank.in पर अपलोड किया गया है. यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से भी देखी की जा सकती है. वार्षिक महासभा का नोटिस एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है.

8. वार्षिक महासभा में वीसी/ओएवीएम की सुविधा की उपलब्धता एमसीए के दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में है.

9. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में कम से कम तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.

4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. In accordance with the applicable circular, the VC/ OAVM will have a capacity to allow at least 1000 members to participate in the AGM and such participation shall be on first come first serve basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first serve basis.

5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system will be provided by NSDL.

7. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

8. Providing the facility of VC/OAVM in AGM is in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020.

9. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66553062/3336/3147/2711, ईमेलः idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

11. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर कार्य समय के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

12. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसारः

    i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

    ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

    iii) लॉगइन आईडी के ब्योरे इस नोटिस में दिए गए हैं.

13. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ मंगलवार, 11 अगस्त 2020 से सोमवार, 17 अगस्त 2020 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक 10 अगस्त 2020 (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 12 अगस्त 2020 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी और रविवार, 16 अगस्त 2020 को शाम 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार वोट करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार ''दो चरण'' शामिल हैं:

चरण 1 : एसएनडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉग-इन करें.

10. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Private Limited at their address at Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail:einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at IDBI Tower, 22nd floor, B Wing, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553062/3336/3147/2711, E-mail : idbiequity@idbibank.co.in] with regard to any share related matter.

11. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1p.m.

12. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

    i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

    ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

    iii) Details of login id are given below in this Notice.

13. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday, August 11, 2020 to Monday, August 17, 2020 (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on August 10, 2020 (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins on and from Wednesday August 12, 2020 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, August 16, 2020 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

चरण 2: एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान करें.

चरण 1 संबंधी विवरण नीचे दिया गया है :

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें.
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर ''Login'' आइकॉन पर क्लिक करें जो ''Shareholders'' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं. अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉग-इन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् ''Cast your vote electronically'' की तरफ बढ़ सकते हैं.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं:

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	**आपका यूजर आईडी है :**
क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल के डीमैट खाते में हैं.	8 अक्षरों-अंकों से युक्त डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12 ************** है तो आपका यूजर आईडी 12 ************** होगा.
ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	ईवीईएन संख्या और उसके बाद कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है :

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करते समय, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.

ग) आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपका 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' दिया होगा.

(ii) यदि आपका ईमेल आईडी बैंक / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, तो आप इस नोटिस में नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करें.

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "**Forgot User Details/Password?**" पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).

ख) www.evoting.nsdl.com पर "**Physical User Reset Password?**" विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

ग) यदि उपर्युक्त दो विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, अपने पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए "Agree to Terms and Conditions" पर टिक करें.

8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा.

9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered with Bank/ Depository, please follow steps mentioned below in this notice.

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on **"Forgot User Details/ Password?"** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) **Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

चरण 2 संबंधी विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करना है ?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे. ''e-voting'' पर क्लिक करें. इसके बाद ''Active Voting Cycles'' पर क्लिक करें
2. ''Active Voting Cycles'' पर क्लिक करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों के ''EVEN'', जिनमें आप शेयर धारण करते हैं और जिनके वोटिंग साइकिल सक्रिय स्थिति में हैं, देख पाएंगे.
3. आप उस कंपनी का ''EVEN'' चुनें जिसके लिए आप मतदान करना चाहते हैं.
4. अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.
5. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् ''Assent'' या ''Dissent'' (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा ''Submit'' पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर ''Confirm'' पर क्लिक करें.
6. पुष्टिकरण के बाद, ''Vote Cast Successfully'' संदेश प्रदर्शित होगा.
7. आप पुष्टीकरण पृष्ठ पर ''Print'' विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
8. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1 संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

2. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' या ''Physicai User Reset Password?'' के विकल्प पर जाना होगा.

3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल' देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 / 91-22-24994545 पर कॉल करें अथवा Pallavid@nsdl.co.in, Amitv@nsdl.co.in (सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल) और evoting@nsdl.co.in पर को अनुरोध मेल भेज सकते हैं.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990/ 91-22-24994545 or send a request to (Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal) at Pallavid@nsdl.co.in, Amitv@nsdl.co.in and evoting@nsdl.co.in.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर कागजी स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ट और पृष्ठ भाग दोनों), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in.पर भेजें.

   यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.

2. विकल्प के तौर पर सदस्य ऊपर पैरा (1) अथवा (2) , जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पते पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के समान है.
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं और जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य रिमोट ई-वोटिंग परिचय सूचना का प्रयोग कर https://www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारक/सदस्य लॉगिन के अंतर्गत इसे एक्सेस कर सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुनः प्राप्त (रिट्रीव) कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice :

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to idbiequity@idbi.co.in.

   In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to idbiequity@idbi.co.in.

2. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and

इसके अतिरिक्त सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में लॉग करने के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्य लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लें तो ज्यादा सहूलियत होगी.

3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरा के लिए अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.

4. कृपया नोट करें कि मोबाईल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाईल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.

5. बैठक के दौरान वक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने अनुरोध 10 अगस्त 2020 को पूर्वाह्न 9.00 बजे से 12 अगस्त 2020 को अपराह्न 6.00 बजे तक बैंक के ई-मेल पते (idbiequity@idbi.co.in) पर भेज सकते हैं. महासभा के लिए समय की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, बैंक महासभा में वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है.

6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से बैंक के ई-मेल पते (idbiequity@idbi.co.in) पर 10 अगस्त 2020 को पूर्वाह्न 9.00 बजे से 12 अगस्त 2020 को अपराह्न 6.00 बजे तक भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.

7. जिन सदस्यों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया है केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

8. जिन सदस्यों को वार्षिक महासभा से पहले या महासभा के दौरान वीसी / ओएवीएम के संबंध में सहायता की जरुरत होगी, वे एनएसडीएल को 1800-222-900 पर फोन कर या श्री संजीव यादव को Sanjeevy@nsdl.co.in पर ईमेल भेज कर संपर्क कर सकते हैं.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 10 जुलाई 2020 के बाद और 10 अगस्त 2020 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 10 जुलाई 2020 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 10 अगस्त 2020 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 10 अगस्त 2020 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते

Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. Further members can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. Shareholders who would like to register themselves as a speaker during the meeting may send their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (Bank's email id. idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on August 10, 2020 till 6.00 p.m. on August 12, 2020. Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

6. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at (Bank's email id. idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on August 10, 2020 till 6.00 p.m. on August 12, 2020. The same will be replied by the Bank suitably.

7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

8. Members who need assistance regarding VC/ OAVM, before or during the AGM, can contact NSDL on 1800-222-990 or email to Mr. Sanjeev Yadav at Sanjeevy@nsdl.co.in.

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., July 10, 2020 and upto August 10, 2020 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from July 10, 2020 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till August 10, 2020 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of August 10, 2020, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and

हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''Forgot User Details/ Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 10 अगस्त 2020 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे..
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/ Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा रविवार, 16 अगस्त 2020 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) से बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो 10 अगस्त 2020 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं है, वे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझें.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022 - 66553336 / 3062 / 3147/2711) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

14. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न आने की स्थिति में सुश्री अश्विनी वर्तक को संवीक्षक नियुक्त किया है.

password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of August 10, 2020.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Sunday, August 16, 2020 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on August 10, 2020, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Private Limited, RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66553336 /3062/3147/2711) or NSDL -Toll Free No. 1800 222 990.

14. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Ms. Ashwini Vartak, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

15. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 19 अगस्त 2020 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी सूचित किए जाएंगे.

16. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है. अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उस डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पैन प्रस्तुत करें जिसके पास उनके डीमैट खाते हैं. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य आईडीबीआई बैंक / केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने आज की तारीख तक ईमेल-आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं किया है, अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.

02. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / डीओपी1 / सीआईआर / पी / 2018/73 के अनुसार, जिसमें निर्गमकर्ता कंपनी और आरटीए को कागजी रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले सभी प्रतिभूति धारकों के पैन कार्ड तथा बैंक खाते के ब्योरों की प्रति एकत्र करने के निर्देश दिये गए थे, बैंक के उन सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर कागजी स्वरूप में हैं से अनुरोध है कि वे पहले जिस शेयरधारक का नाम दिया गया है उसके और अन्य सभी संयुक्त शेयरधारकों के पैन कार्ड की प्रति/प्रतियाँ और बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर उपलब्ध अपेक्षित फॉर्म में बैंक खाते के ब्योरे (यदि पहले प्रस्तुत न किए हों तो) प्रस्तुत करें. विधिवत भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लखित दस्तावेजों सहित उसमें दिये गए पते पर प्रस्तुत किया जाए. इससे सेबी के उपर्युक्त के अनुपालन और शेयरधारक/कों के अधिदेशित बैंक खाते में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश (यदि कोई घोषित किया गया हो) के भुगतान में सुविधा होगी.

03. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार और यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 की शर्तों के अनुसार, सभी अप्रदत्त या अदावित लाभांश जो अंतरण की तारीख से 7 वर्ष तक अदावित लाभांश खाते में पड़े हैं, को धारा 125(1) के अंतर्गत स्थापित खाते में बैंक द्वारा अंतरित कर दिया जाएगा. इसके अनुपालन में इस वर्ष बैंक से वित्तीय वर्ष 2012-13 के अदावित लाभांश को निधि में अंतरित करना अपेक्षित है. शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश

15. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before August 19, 2020 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

16. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to the Depository Participant with whom they are maintaining Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to IDBI Bank/ KFin Technologies Pvt. Ltd.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/ CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, directing the issuer company and RTA to collect copy of PAN card and Bank Account details of all security holders holding securities in physical form, all Shareholders of the Bank who hold shares in physical form are requested to furnish the copy/ ies of PAN card of first named shareholder & all joint shareholders and furnish Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's website www.idbibank.in. Duly filled in form, along with the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate compliance of SEBI's aforesaid circular and payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., in the mandated Bank Account of the Shareholder/s.

03. As per the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all unpaid or unclaimed dividends, for a period of seven years from the date of transfer of such dividend to unclaimed dividend account, shall be transferred by the Bank to the Fund established under Section 125(1). In compliance thereof, this year the Bank is required to transfer unclaimed dividend for the FY 2012-13 to the Fund. The shareholders, who have not yet claimed the dividend for FY 2012-13 are requested

का दावा अभी तक नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे नियमावली के अनुसार उक्त दावे के लिए बैंक से संपर्क करें. शेयरधारकों के अदावित लाभांश के ब्योरे बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं.

04. सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट स्वरूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शेयरधारकों, जिनके शेयर कागजी रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खुलवाने के बाद अपनी शेयरधारिता को कागजी स्वरूप से डीमैट स्वरूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें.

यह स्पष्ट किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा लेने के लिए केवल वही शेयरधारक पात्र होंगे जो सदस्यों की बही में दर्ज हैं अथवा जो उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीख 10 अगस्त 2020 को शेयरों के लाभार्थी स्वामी हैं.

to approach the Bank for claiming the same in terms of the Rules. The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website.

04. SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

It is clarified that only the shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the Cut-off date of August 10, 2020, will be entitled to avail the facility of remote e-voting.

नोटिस का अनुबंध

सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद संख्या 3 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 187 के अनुसार यह अपेक्षित है कि बैंक के लेखों की लेखापरीक्षा, एक या अधिक ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा करवायी जाए, जिन्हें बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 (1ए) के निबंधनों के अनुसार रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया गया हो. मेसर्स एम. पी. चितले, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं. 101851डब्ल्यू), मेसर्स के एस अय्यर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं.100186डब्ल्यू) तथा मेसर्स जे एल एन यू एस एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, वड़ोदरा (फर्म पंजीकरण सं.101543डब्ल्यू) को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईडीबीआई बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और मेसर्स केपीएमजी, सनदी लेखाकार को डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. ये लेखापरीक्षक 16वीं वार्षिक महासभा की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन, वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों और डीआईएफसी, दुबई के लिए लेखापरीक्षक की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की जानी है और ये लेखापरीक्षक इस वर्ष की वार्षिक महासभा की समाप्ति से 17वीं वार्षिक महासभा की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे. वर्तमान में बैंक के प्रधान कार्यालय, शाखाओं और अन्य कार्यालयों के खातों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग सहित लेखा परीक्षा के लिए ₹ 3 करोड़ (केवल तीन करोड़ रुपए) वार्षिक पारिश्रमिक और अधिकतम ₹ 36 लाख की प्रतिपूर्ति और लागू दरों पर कर निर्धारित किए गए हैं. तथापि, सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए निबंधन और शर्तें तथा पारिश्रमिक लेखापरीक्षा समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा. इस संबंध में प्रस्तावित शुल्क रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार और अधीन होगा. यह प्रस्ताव किया जाता है कि सामान्य संकल्प पारित कर निदेशक मंडल को बैंक और डीआईएफसी, दुबई शाखा हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए क्रमशः सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षक नियुक्त/पुनर्नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए जो लेखापरीक्षा समिति की सिफ़ारिशों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त किए जानेवाले अनुमोदन के अनुसार होगा.

निदेशक मंडल वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 3 में निहित विषय को सामान्य संकल्प के रूप में पारित किये जाने सिफ़ारिश करता है. कोई भी निदेशक या प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

2. सूचना की मद सं. 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

(i) समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह टियर I पूंजी बनाए रखे. बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभार को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत बनाने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है. क्यूआईपी मार्ग के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 20 अगस्त 2019 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प, क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए वैध है.

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statements in respect of items of the Notice

1. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 3 of the Notice

In terms of Article 187 of the Articles of Association, the accounts of the Bank are required to be audited by one or more auditors to be appointed with the prior approval of RBI in terms of Section 30(1A) of the Banking Regulation Act, 1949. M/s M.P. Chitale, Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No.101851W), M/s K S Aiyar & Co., Chartered Accountants, Mumbai(Firm Regn. No.100186W) and M/s JLN U S & Co., Chartered Accountants, Vadodara (Firm Regn. No.101543W) were re-appointed as Statutory Central Auditors of IDBI Bank for the year 2019-20 and M/s KPMG, Chartered Accountants were appointed as Auditors for DIFC, Dubai Branch to hold office till the conclusion of 16th Annual General Meeting. Subject to approval of RBI, Statutory Central Auditors of the Bank and Auditors of DIFC, Dubai Branch are to be appointed/ reappointed for the year 2020-21 to hold office from conclusion of this AGM till the conclusion of 17th Annual General Meeting. Presently, the annual remuneration/fee is at ₹ 3 crore (Rupees Three Crore only) plus reimbursement capped at ₹ 36 lakhs and taxes at the applicable rates, for the purpose of audit including reporting on internal financial controls of the Bank's accounts at its head office, branches and other offices. However, the terms & conditions and remuneration of the Statutory Auditors would be as fixed by the Board of Directors of the Bank on the recommendation of the Audit Committee. The proposed fees would also be subject to and in line with the directions of RBI in this regard. By passing an ordinary resolution, it is proposed to authorize the Board of Directors to appoint/ reappoint Statutory Central Auditors of the Bank and Branch Auditors for DIFC, Dubai Branch for FY 2020-21 as recommended by Audit Committee and in line with the RBI approval to be received in this regard.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 3 of the AGM Notice. None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, are whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise in the passing of this resolution.

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 4 of the Notice

(i) The Bank is required to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant Regulatory guidelines issued from time to time. In view of ongoing implementation of BASEL III norms and consequential capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. The Special Resolution passed at the last AGM held on August 20, 2019 for Issue of Capital under QIP route, is valid only for one year in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 for QIPs.

(ii) बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और/ अथवा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, से आवश्यक अनुमोदन, यदि कोई हो, प्राप्त करेगा.

(iii) यह संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है जो सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 41(4) के के साथ पठित है, बशर्ते कि जब भी बैंक द्वारा दोबारा कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को वह ऑफर आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर या इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सके.

(iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी, ईएसपीएस, ईएसओपी आदि के जरिए कुल ₹ 11000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) के इक्विटी शेयरों को ऑफर करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है.

(v) इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.

(vi) इस संकल्प का उद्देश्य सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 में परिभाषित रूप में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के पास अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देना है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.

(vii) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी आधार पर, प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जाए जो कि "संगत तारीख" से पहले के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शेयरों के बंद भावों के साप्ताहिक अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के औसत से कम न हो. बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम 5 प्रतिशत छूट पर या ऐसी किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है.

(viii) ''संगत तारीख'' से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसमें बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले.

(ix) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी.

(x) अधिकार निर्गम के मामले में निर्गम मूल्य का निर्णय आईसीडीआर विनियम के अध्याय III के प्रावधानों के अनुसार अग्रणी प्रबंधकों के साथ परामर्श कर किया जाएगा.

(ii) The Bank will obtain requisite approval, if any, of RBI, LIC and/or Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital.

(iii) The enabling Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Sections 42 and 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 which, read with Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro- rata basis unless the shareholders in the General Meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities on pro-rata basis to the existing shareholders or otherwise.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares aggregating upto ₹ 11000 crore (inclusive of premium amount) by way of public issue, rights issue, issue on private placement basis, QIP, ESPS, ESOP, etc.

(v) The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(vi) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(vii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 subject to section 53 of the Companies Act, 2013.

(viii) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.

(ix) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.

(x) In case of a rights issue, the issue price would be decided in consultation with the lead manager(s) in accordance with the provisions of Chapter III of the ICDR Regulations.

(xi) क्यूआईपी अथवा अधिकार निर्गम सहित विभिन्न प्रकार के निर्गमों के लिए ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक जरूरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा.

(xii) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(xiii) उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है.

(xiv) आबंटित इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस उद्देश्य के लिए बैंक को विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की सहमति लेने की आवश्यकता है.

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 4 में दिए गए संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

3. सूचना की मद संख्या 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2020 के अपने पत्र द्वारा बैंक को यह निर्देश दिए गए हैं कि यह अपने संस्था के अंतर्नियमों में कुछ परिवर्तन कर इन्हें निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाए.

निदेशक मंडल ने 18 मई 2020 को संपन्न अपनी बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित परिवर्तनों पर चर्चा कर इसे अनुमोदित किया है और साथ ही आगामी वार्षिक महासभा में विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है. प्रस्तावित परिवर्तन रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन और उनके द्वारा उनके अनुमोदन की सूचना देने के दौरान निर्देशित कोई अन्य परिवर्तन यदि हो, के अनुसार होगा. संस्था अंतर्नियम के नियम 114 (बी), 116, 117, 118, 119, 127, 141(ए), 143, 145, 154(1), 154(2),154(4) तथा 155 के प्रस्तावित संशोधन वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं 5 दिए गए हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार यह प्रस्तुत है किया जाता कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य

(xi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements for various types of issues including rights issue or QIP

(xii) As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

(xiii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(xiv) The equity shares to be allotted shall rank pari-passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution.

The Board of Directors recommend passing of the Resolution as contained at Item No. 4 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice

RBI, vide letter dated March 31, 2020, has directed the Bank to carry out some alterations in the Articles of Association of the Bank to bring them in line with RBI guidelines for Private Sector Banks.

Board of Directors at their meeting held on May 18, 2020, discussed and approved the alterations as directed by RBI and further proposed the Special Resolution for the approval of the Shareholders to be obtained at the ensuing Annual General Meeting. The proposed alterations would be subject to RBI approval and also in accordance with further modifications, if any, directed by RBI while conveying their approval. The proposed amendments in Articles 114 (b), 116, 117, 118, 119, 127, 141(a), 143, 145, 154 (1), 154 (2), 154 (4) and 155 of the Articles of Association are contained under Item No. 5 of the AGM notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial

प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

4. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएनः 07459492) को भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में 20 अगस्त 2019 को नियुक्त किया गया और वे भारत सरकार द्वारा इसमें कोई परिवर्तन न किए जाने तक पद धारित करेंगी. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संशोधित संस्था अंतर्नियम 116(1) (vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि उनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी. सुश्री मीरा स्वरूप का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से अथवा किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई पारस्परिक संबंध नहीं हैं. सुश्री मीरा स्वरूप बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, अपने वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी.

बोर्ड सुश्री मीरा स्वरूप को निदेशक के रूप में नामित करने की सिफारिश करता है जो सरकार के नामिती निदेशक के अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि कोई भी निदेशक (स्वयं सुश्री मीरा स्वरूप को छोड़कर) अथवा, आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

5. सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएनः 02262530) को 20 सितंबर 2019 से 3 वर्ष की अवधि के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे. दिनांक 4 सितंबर 2019 के भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज का पारिश्रमिक ₹ 1,87,600 प्रति माह होगा और उस पर लागू महंगाई भत्ता (वर्तमान में मूल वेतन का 9%) मिलेगा तथा परिलब्धि सुविधाओं के रूप में किराया रहित सुसज्जित आवास सुविधा, कार्यालयीन प्रयोजन के लिए कार, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा लाभ, छुट्टी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उप प्रबंध निदेशक के लिए लागू अन्य लाभ व शर्तें उनके लिए लागू होंगी. श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

बोर्ड, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज को रिजर्व बैंक और बोर्ड द्वारा अनुमोदित निबंधनों, शर्तों और पारिश्रमिक पर 20 सितंबर 2019 से 3 वर्ष की अवधि के लिए उप प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश करता है जो अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज की उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

Ms Meera Swarup (DIN: 07459492) was appointed as Government Nominee Director on the Board w.e.f. August 20, 2019 to hold office till the pleasure of Government of India. In compliance of amended Article 116(1) (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint her as a Director liable to retire by rotation during her tenure as Government Nominee Director on the Board. Ms. Meera Swarup is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank. Ms. Meera Swarup shall be entitled to the reimbursement of her transport, travel and stay arrangements for attending Board/ Committee Meetings.

Board recommends the appointment of Ms. Meera Swarup as Director liable to retire by rotation during her tenure as Government Nominee Director on the Board. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Ms. Meera Swarup herself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution.

5. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 7 of the Notice

Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN: 02262530) was appointed as Deputy Managing Director (DMD), liable to retire by rotation for 3 years w.e.f. September 20, 2019. As per RBI approval dated September 04, 2019, the Remuneration of Shri Samuel Joseph Jebaraj as DMD of IDBI Bank would be ₹ 1,87,600 per month and applicable DA (presently @ 9% of basic pay) and perquisites such as Rent free furnished accommodation, Car for official purpose, Leave Travel Concession, Medical benefits, Leaves and such other benefits and conditions as applicable to the DMD of Public Sector Banks. Shri Samuel is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Board recommends the appointment of Shri Samuel Joesph Jebaraj as DMD, liable to retire by rotation, for 3 years w.e.f. September 20, 2019 on the RBI and Board approved terms, conditions and remuneration. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Samuel himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri Samuel as DMD.

6. **सूचना की मद संख्या 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण**

श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार (डीआईएनः 03022106) को 15 जनवरी 2020 से 3 वर्ष की अवधि के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे. दिनांक 9 जनवरी 2020 के भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार, श्री खटनहार का पारिश्रमिक ₹ 1,87,600 प्रति माह होगा और उस पर लागू महंगाई भत्ता (वर्तमान में मूल वेतन का 9%) मिलेगा तथा परिलब्धि सुविधाओं के रूप में किराया रहित सुसज्जित आवास सुविधा, कार्यालयीन प्रयोजन के लिए कार, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा व्यय, छुट्टी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उप प्रबंध निदेशक के लिए लागू अन्य लाभ व शर्तें उनके लिए लागू होंगी. श्री खटनहार का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

बोर्ड, श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार को रिजर्व बैंक और बोर्ड द्वारा अनुमोदित निबंधनों, शर्तों और पारिश्रमिक पर 15 जनवरी 2020 से 3 वर्ष की अवधि के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करता है जो अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री खटनहार को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री खटनहार की उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

7. **सूचना की मद सं. 9 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण**

श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएनः 07555065) को बोर्ड में भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में 11 जून 2020 को नियुक्त किया गया और वे भारत सरकार द्वारा इसमें कोई परिवर्तन न किए जाने तक पद धारित करेंगे. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संशोधित संस्था अंतर्नियम 116(1)(vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि उनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे. श्री अंशुमन शर्मा का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से अथवा किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई पारस्परिक संबंध नहीं हैं. श्री अंशुमन शर्मा बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अपने वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे.

बोर्ड, श्री अंशुमन शर्मा को निदेशक के रूप में नामित करने की सिफारिश करता है जो सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि वे किसी भी निदेशक (स्वयं श्री अंशुमन शर्मा को छोड़कर) अथवा आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

8. **सूचना की मद सं. 10 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण**

पूर्व में, भारत सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक में नियुक्त पूर्णकालिक निदेशकों (एमडी/डीएमडी) जिनके पास कैरियर पोस्ट बैंक, अर्थात् आईडीबीआई बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेंशन का विकल्प था, को पेंशन सुविधाओं, उपदान और छुट्टी नकदीकरण लाभ

6. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 8 of the Notice**

Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN: 03022106) was appointed as Deputy Managing Director (DMD) liable to retire by rotation for 3 years w.e.f. January 15, 2020. As per RBI approval dated January 09, 2020, the Remuneration of Shri Khatanhar as DMD of IDBI Bank would be ₹1,87,600 per month and applicable DA (presently @ 9% of basic pay) and perquisites such as Rent free furnished accommodation, Car for official purpose, Leave Travel Concession, Medical benefits, Leaves and such other benefits and conditions as applicable to the DMD of Public Sector Banks. Shri Khatanhar is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Board recommends the appointment of Shri Suresh Kishinchand Khatanhar as DMD, liable to retire by rotation, for 3 years w.e.f. January 15, 2020 on the RBI and Board approved terms, conditions and remuneration. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Khatanhar himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri Khatanhar as DMD.

7. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.9 of the Notice**

Shri Anshuman Sharma (DIN: 07555065) was appointed as Government Nominee Director on the Board w.e.f. June 11, 2020 to hold office till the pleasure of Government of India. In compliance of amended Article 116(1) (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board. Shri Anshuman Sharma is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank. Shri Anshuman Sharma shall be entitled to the reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending Board/ Committee Meetings.

Board recommends the appointment of Shri Anshuman Sharma as Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Anshuman Sharma himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution.

8. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.10 of the Notice**

In the past, Whole Time Directors (MD/DMDs) appointed in IDBI Bank by GoI and having pension option in career post Bank, i.e., IDBI Bank or other PSBs were not allowed combined service for pensionary benefits, gratuity and

लेने के लिए संयुक्त सेवा की अनुमति नहीं थी. एलआईसी द्वारा बहुलांश इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के पश्चात्, जहां एमडी सीईओ/पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति बोर्ड द्वारा आरबीआई के अनुमोदन से की गयी है, इनकी वेतन संरचना पीएसबी में पूर्णकालिक निदेशकों पर लागू समान स्तर पर ही बरकरार रखी गई है. बैंक के बोर्ड ने राष्ट्रीकृत बैंकों में नियुक्त पूर्णकालिक निदेशकों के लिए लागू पेंशन योजना के अनुरूप आईडीबीआई बैंक के वर्तमान और भावी पात्र पूर्णकालिक निदेशकों के लिए एक नीति के रूप में पेंशन की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है जो इस संबंध में शेयरधारकों और आरबीआई के अनुमोदन के अधीन होगा. इस विषय पर बैंक ने आरबीआई से अनुमोदन मांगा है.

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों (स्थानीय क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक सहित) और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों को संबोधित दिनांक 4 नवंबर 2019 के परिपत्र द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ को पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं. परिपत्र में बैंकों द्वारा पारिश्रमिक प्रथाओं के संबंध में पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश दिये गए हैं जिनमें वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा अप्रैल 2009 में जारी सुदृढ़ पारिश्रमिक प्रथाओं के सिद्धांत शामिल हैं. आरबीआई परिपत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा देय पारिश्रमिक में, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी)/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के लिए 1 अप्रैल 2020 से/उसके बाद प्रारंभ होने वाले वेतन चक्रों को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप होने संबंधी निर्देश दिये गए हैं. सीईओ/ डब्ल्यूटीडी/ महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन पदों के लिए क्षतिपूर्ति संरचना को उद्योग जगत की प्रथाओं और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है. एमडी/ डब्लूयटीडी हेतु पारिश्रमिक संरचना में प्रस्तावित संशोधन, इस संबंध में शेयरधारकों और आरबीआई के अनुमोदन के अनुसार और उसके अधीन होगा. पारिश्रमिक संरचना में प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएँ इस सूचना की मद सं 10 में उल्लिखित संकल्प में विस्तृत रूप से दी गयी हैं.

अतः वार्षिक महासभा सूचना की मद सं 10 के अंतर्गत दिए गए संकल्प को बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एतद्द्वारा पारित करने का प्रस्ताव है. बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (एमडी एवं सीईओ, डीएमडी, सीएफओ और कंपनी सचिव को उस स्तर तक छोड़कर जहाँ तक वह उनकी पारिश्रमिक संरचना को प्रभावित करता है) या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनके शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएनः 06846594

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई- 400005

दिनांक : 29 जून 2020

leave encashment benefit. Following the acquisition of majority equity stake by LIC, while MD CEO /WTDs have been appointed by the Board, with the approval of RBI, their salary structure was retained at the same level as applicable to WTDs in PSBs. The Board of the Bank has approved the proposal for grant of pensionary benefits as a policy to present and future eligible WTDs of IDBI Bank in line with the pension scheme as applicable to WTDs appointed in Nationalized Banks, subject to the approval of shareholders and RBI to be obtained in this regard. The Bank has sought RBI approval in the matter.

Further, RBI, vide circular dated November 4, 2019 addressed to All Private Sector Banks (including Local Area Banks, Small Finance Banks, Payment Banks) and Foreign Banks operating in India issued guidelines on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff. The circular provides guidelines to be followed by Banks with regard to Compensation Practices which include Principles of Sound Compensation Practices issued by The Financial Stability Board in April 2009. The RBI circular mandates that the remuneration payable by private sector banks, inter alia, to Whole Time Directors [WTDs] / Chief Executive Officers [CEOs] for the pay cycles beginning from / after April 01, 2020 shall be compliant with the guidelines. The compensation structure for CEO / WTDs / Material Risk Takers and other senior management positions has been prepared keeping in view industry practices and compliance with the RBI guidelines. The proposed revision in the compensation structure for MD/ WTDs shall be subject to and in accordance with the approval of shareholders and RBI to be obtained in this regard. The salient features of proposed revision in the compensation structure are detailed in the resolution contained under Item No. 10 of the notice.

Hence, resolution given under Item No.10 of the AGM Notice is proposed to be passed as recommended by the Board. No Director or Key Managerial Personnel of the Bank (except MD & CEO, DMDs, CFO and Company Secretary to the extent the proposal affects their compensation structure) or their relatives, is whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise in the passing of the aforesaid resolution.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 29, 2020

आगामी वार्षिक महासभा में नियुक्ति के लिए इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

[सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) के अनुसार]

सुश्री मीरा स्वरूप	सुश्री मीरा स्वरूप ने वर्ष 1988 में भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा सेवा में कार्य ग्रहण किया. वे वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने महा निदेशक (पी एंड टी ऑडिट) और भारतीय नियंत्रक और महालेखाकार कार्यालय में महा निदेशक (मुख्यालय) के रूप में भी कार्य किया है. वे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में प्रधान महा लेखाकार और महा लेखाकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं. सुश्री मीरा स्वरूप वर्ष 2010 से 2012 के दौरान जेनेवा में डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूआईपीओ और आईओएम की बाह्य लेखापरीक्षा हेतु बाहय लेखापरीक्षक निदेशक के रूप में तैनात थीं. उन्होंने 1994-1998 में भारत सरकार में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान फंड बैंक डिवीजन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप/संयुक्त निदेशक के रूप में कार्य किया. वे दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और उन्हें राज्य तथा केंद्र सरकार की संस्थाओं के प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और लेखापरीक्षा का व्यापक अनुभव है.
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, बी.ई. (ऑनर्स) और एमबीए ने 1998 में एक्ज़िम बैंक में कार्यग्रहण किया और एक्ज़िम बैंक के ऋण प्रशासन एवं मानव संसाधन प्रबंधन समूह के प्रमुख रहे. उन्होंने एक्जिम बैंक के प्रधान कार्यालय में कॉरपोरेट बैंकिंग, एसएमई, ट्रेजरी, लेखा और सूचना प्रौद्योगिकी समूह के कार्यभार संभाला. श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज ने एक्जिम बैंक के बेंगुलुरु हैदराबाद, मिलान और लंदन कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया. उनके पास ट्रेजरी और संसाधन संग्रहण सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश वित्त, परियोजना वित्त, संरचित ऋण, देयता पक्ष प्रबंधन का 25 वर्ष का व्यापक अनुभव है.

BRIEF RESUME OF DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT AT THE FORTHCOMING AGM

[Pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

Ms. Meera Swarup	Ms. Meera Swarup joined the Indian Audit and Accounts Service in the year 1988. She is presently working as Additional Secretary & Financial Adviser (Finance) in the Ministry of Finance, Government of India. She also held the position of Director General (P&T Audit) and Director General (Hqrs.) in the Office of C&AG of India. She has worked as Principal Accountant General and Accountant General in the States of Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh. She was posted as Director of External Audit at Geneva, responsible for external audit of WHO, WIPO and IOM during 2010 to 2012. While on deputation to Govt. of India from 1994-1998, she worked as Deputy/Joint Director in the Fund Bank Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. She has a Master's degree in Political Science from University of Delhi and has vast experience in administration, financial management, audit of State & Central Government Organisations.
Shri Samuel Joseph Jebaraj	Shri Samuel Joseph Jebaraj, B.E. (Hons) and MBA, joined Exim Bank in 1998 and headed the Loan Administration and Human Resources Management Groups of the Bank. He has handled Corporate Banking, SME, Treasury, Accounts and Information Technology Groups at the Head Office of Exim Bank. Shri Samuel served in the Bengaluru, Hyderabad, Milan and London Offices of Exim Bank in various capacities. He has over 25 years of professional experience in international trade and investment finance, project finance, structured lending, liability side management, including Treasury and raising of resources.

श्री सुरेश खटनहार	श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार एम.कॉम, आईसीडब्ल्यूए और सीएआईआईबी हैं. वे आईडीबीआई बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में मिड कॉरपोरेट ग्रुप और व्यापार वित्त के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे. उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, देना बैंक में 13 वर्ष का अनुभव, पूर्ववर्ती आईडीबीआई बैंक (निजी क्षेत्र का बैंक जिसका विलय आईडीबीआई में हो गया) में 8 वर्ष का अनुभव और आईडीबीआई बैंक में डीएमडी के रूप में नियुक्ति के पूर्व आईडीबीआई बैंक में 14 वर्ष का अनुभव है. श्री खटनहार को रिटेल बैंकिंग कारोबार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, कॉरपोरेट बैंकिंग (मिड व बृहत् कॉरपोरेट), व्यापार वित्त जैसे सेवा उन्मुख कार्यों और विभिन्न ट्रेजरी उत्पादों की क्रॉस सेलिंग जैसे कार्यों का अनुभव है. वरिष्ठतम कारोबारी कार्यपालक निदेशक के रूप में वे आईडीबीआई बैंक की महत्वपूर्ण आंतरिक समितियों जैसे - ऋण समितियां, उत्पाद समितियां, परिचालनगत जोखिम, ऋण जोखिम प्रबंधन, आल्को, स्टाफ जवाबदेही व सतर्कता, आईटी खरीद आदि के अतिरिक्त ऋण निगरानी, जोखिम प्रबंधन (सीआरओ), अनुपालन (सीसीओ) और आंतरिक लेखा प्रबंधन (सीएओ) के भी प्रमुख थे.
श्री अंशुमन शर्मा	एक अनुभवी आईआरएस अधिकारी श्री अंशुमन शर्मा ने कर मूल्यांकन, जाँच, प्रशासन और हस्तांतरण मूल्य-निर्धारण के क्षेत्र में पद ग्रहण किया. वर्तमान में वे वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में तैनात हैं और उनके पास बीमा और पेंशन सुधार संबंधी पोर्टफोलियो हैं. एक अनुभवी और कुशल अधिकारी के रूप में उनके पास संस्थागत वित्त, इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त में नीतिगत विकास कार्य, निर्यात वित्त, आस्ति पुनर्निर्माण आदि क्षेत्रों में वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मझोले और दीर्घावधि निर्यात वित्तपोषण पर दिशानिर्देशों के निर्माण के लिए बनी 'निर्यात ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल' के चीन और रोमानिया में आयोजित सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया. प्रबंधन में स्नातकोत्तर श्री शर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और कई क्षेत्रों रुचि रखते हैं. बैंक और वित्तीय संस्थाओं संबंधी लीडरशिप पर आईआईएम, अहमदाबाद से कोर्स पूरा कर चुके श्री शर्मा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इलहाबाद बैंक, आईएफसीआई लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के बोर्ड में रह चुके हैं. वर्तमान में वे आईडीएफ़सी के बोर्ड में हैं. नए-नए व्यंजन बनाने में रुचि रखने वाले श्री शर्मा पढ़ने, ट्रैकिंग, संगीत और लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हैं.

Shri Suresh Khatanhar	Shri Suresh Kishinchand Khatanhar is M. Com., ICWA and CAIIB. He was working with IDBI Bank as Executive Director heading Mid Corporate Group and Trade Finance. He has diversified banking experience with 13 years at Dena Bank, a Public Sector Bank, 8 years at erstwhile IDBI Bank (a private bank which was amalgamated with IDBI) and 14 years at IDBI Bank before his appointment as DMD in IDBI Bank. He has exposure in Retail Banking business, Priority Sector Lending, Corporate Banking (Mid Corporate & Large Corporate), service oriented functions such as Trade Finance and cross selling of various Treasury products. He also headed Credit Monitoring, Risk Management (CRO), Compliance (CCO) and Internal Audit Management (CAO) apart from important Internal Committees as Senior-most Business ED - viz. Credit Committees, Product Committees, Operation Risk, Credit Risk Management, ALCO, Staff Accountability & Vigilance, IT Procurement etc. in IDBI Bank.
Shri Anshuman Sharma	An accomplished IRS officer, Shri Anshuman Sharma has held positions in Tax Assessment, Investigation, Administration and Transfer Pricing. Currently he is posted as Director in Department of Financial Services, Ministry of Finance looking after portfolio of Insurance & Pension Reforms. An experienced and savvy officer with years of experience in areas of Institutional Finance, Policy Development Work in Infrastructure Finance, Export Finance, Asset Reconstruction etc. he has led Indian delegation to China and Romania in International Working Group on Export Credit formed to frame guidelines on medium and long-term export financing. A Post Graduate in Management, he is a multifarious personality with wide ranging interests. Armed with course on Leadership of Banks & Financial Institutions from IIM, Ahmedabad, he has served on the board of State Bank of Travancore, Allahabad Bank, IFCI Ltd and India Post Payments Bank (IPPB). He is currently on the Board of IDFC Ltd. An experimental cook, he enjoys reading, trekking, music and long drives.

आगामी वार्षिक महासभा में नियुक्ति के लिए इच्छुक निदेशकों का विवरण

[सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3) और साधारण बैठकों पर सचिवीय मानक 2 के अनुसार]

निदेशक का नाम	सुश्री मीरा स्वरूप	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	श्री सुरेश खटनहार	श्री अंशुमन शर्मा
पदनाम	सरकार की नामिती निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	सरकार के नामिती निदेशक
जन्म तिथि	15-02-1962	22-06-1968	25-08-1963	21-01-1979
बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	20-08-2019	20-09-2019	15-01-2020	11-06-2020
शैक्षणिक योग्यता	एम ए (राजनीति शास्त्र)	बी.ई. (ऑनर्स), एमबीए	एम.कॉम सीएआईआईबी, आईसीडब्ल्यूए	प्रबंधन में स्नातकोत्तर
विशेषज्ञता	अकाउंटेंसी, प्रशासन एवं वित्त	अकाउंटेंसी, बैंकिंग, कारोबार प्रबंधन, एचआर, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी और सेल्स	अकाउंटेंसी, बैंकिंग, जोखिम, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, लघु उद्योग, कारोबार प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन	आकाउंटेंसी, अर्थ शास्त्र, बैंकिंग, विधि और विपणन
सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद	शून्य	शून्य	शून्य	आईडीएफ़सी लि.
सूचीबद्ध संस्थाओं की समितियों में सदस्यता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर-कार्यपालक निदेशक की शेयरधारिता	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निदेशकों का पारस्परिक संबंध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

DETAILS OF DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT AT THE FORTHCOMING AGM

[Pursuant to Regulation 36(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard 2 on General Meetings]

Name of Director	Ms Meera Swarup	Shri Samuel Joseph Jebaraj	Shri Suresh Khatanhar	Shri Anshuman Sharma
Designation	Government Nominee Director	Deputy Managing Director	Deputy Managing Director	Government Nominee Director
Date of Birth	15-02-1962	22-06-1968	25-08-1963	21-01-1979
Date of appointment on Board	20-08-2019	20-09-2019	15-01-2020	11-06-2020
Qualification	MA (Political Science)	BE (Hons.), MBA	M.com, CAIIB, ICWA	Post Graduate in Management
Expertise	Accountancy, Administration and Finance.	Accountancy, Banking, Business Management, HR, Finance, Information Technology and Sales	Accountancy, Banking, Risk, Agriculture and Rural Economy, Finance, Small Scale Industry, Business Management, Administration and Corporate Governance	Accountancy, Economics, Banking, Law, and Marketing
Directorship in Listed entities	Nil	Nil	Nil	IDFC Ltd.
Membership in Committees of listed entities	Nil	Nil	Nil	Nil
Shareholding of Non-Executive Directors	Nil	N.A	N.A	N.A
Relationship between directors inter-se	Nil	Nil	Nil	Nil

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है
This page has been intentionally left blank

IDBI BANK

बैंक खाता / ई-मेल पंजीकरण फॉर्म

मैं/हम ______________________________ एतद्द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. को प्राधिकृत करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि वे

- एलईसीएस/ आरईसीएस/ एनईसीएस/ एनईएफटी के द्वारा मेरी लाभांश राशि मेरे बैंक खाते में सीधे जमा करें.
- मेरे/ हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्योरे प्रिंट करें (यदि जारी किया गया तो)

फोलियो नं.: आईडीबी ____________________

बैंक खाते / ईमेल आईडी के विवरण

1.	बैंक का नाम	:	
2.	शाखा का नाम पता (केवल मैंडेट हेतु)	:	
3.	एमआईसीआर चेक पर दर्शाये अनुसार बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या	:	
4.	खाता प्रकार (बचत/चालू)	:	
5.	चेकबुक पर दर्शाये अनुसार खाता सं.	:	
6.	शाखा एसटीडी कोड और टेलीफोन नं.	:	
7.	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	:	
8.	सदस्य का ईमेल आईडी	:	
9.	सदस्य का मोबाइल/फोन नंबर	:	

....

सदस्य के हस्ताक्षर

1. 9 अंकों की एमआईसीआर कोड संख्या/ आईएफएससी कोड के सही होने के सत्यापन के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबन्धित चेक की फोटोकॉपी अथवा निरस्त किया हुआ कोरा चेक संलग्न करें.

2.

ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया इनके ब्योरे निम्न को भेजें:	**शेयरधारकों द्वारा शेयर डिमैट रूप में धारित किए जाने के मामले में, कृपया इनके ब्योरे निम्नलिखित को भेजें :**
केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद- 500 032, तेलंगाना.	संबंधित डिपॉजिटरी, जहां आपका डीमैट खाता खोला गया है.

संलग्नक :

1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति.
2. निवास-स्थान संबंधी स्व-प्रमाणित प्रति - आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र.
3. रद्द रिक्त चेक पन्ना.
4. बैंक द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणन पत्र.

IDBI BANK

BANK ACCOUNT / EMAIL REGISTRATION FORM

I/We ______________________________________ do hereby authorize IDBI Bank Ltd.

- To Credit my dividend amount directly to my Bank account by LECS/RECS/NECS/NEFT.
- To Print the following details on my/our dividend warrant (issued if necessary)

Folio No. : IDB_________________________

Particulars of Bank Account / Email ID:

1.	Bank Name	:	
2.	Branch Name Address (for Mandate only)	:	
3.	9 Digit Code number of the Bank & Branch as appearing on the MICR cheque	:	
4.	Account Type (Savings/Current)	:	
5.	Account No. as appearing on the cheque book	:	
6.	Branch STD code & Telephone no.	:	
7.	IFSC Code of Bank Branch	:	
8.	E-mail ID of Member	:	
9.	Mobile / Phone number of Member	:	

…………………………….

Signature of the Member

1. Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above bank account for verifying the accuracy of the 9 digit MICR code number/IFSC Code.
2.

In case of shareholders holding shares in Physical Mode, please send these details to:	In case of shareholders holding shares in Dematerialised form, please send these details to:
KFin Technologies Pvt. Ltd. Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 Telangana.	The Depository Participant with whom your Demat Account is maintained.

Enclosures :

1. Self-attested copy of PAN Card
2. Self-attested copy of Residence -AADHAR Card or Passport or Driving License or Voter ID.
3. Cancelled blank cheque leaf.
4. Signature attestation letter from Bank.

नोट / NOTE

नोट / NOTE